<u>दिल्ली विकास प्राधिकरण</u>

(आयुक्त एवं सचिव कार्यालय)

सं. एफ.2(3)2020/एमसी/डीडीए/84 दिनांक: 22 जुलाई, 2020

विषय: <u>दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त।</u>

दिनांक 14 जुलाई, 2020 को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त संलग्न है। कार्यवृत्त में संशोधन, यदि कोई हो, को तीन दिनों के अन्दर प्रस्तुत किया जाए।

(डी. सरकार)

(आयुक्त एवं सचिव)

संलग्नक: उपर्युक्तानुसार

<u>अध्यक्ष</u>

1. श्री अनिल बैजल
   उपराज्यपाल, दिल्ली

<u>उपाध्यक्ष</u>

2. श्री अनुराग जैन

<u>सदस्य</u>

3. श्री विजय कुमार सिंह
   वित्त सदस्य, दिविप्रा
4. श्री शैलेंद्र शर्मा
   अभियंता सदस्य, दिविप्रा
5. श्री कामरान रिजवी
   अपर सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
6. श्रीमती अर्चना अग्रवाल
   सदस्य सचिव, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड
7. श्री विजेंदर गुप्ता, विधायक
8. श्री सोमनाथ भारती, विधायक
9. श्री दिलीप कुमार पाण्डे, विधायक
10. श्री ओ पी शर्मा, विधायक
11. श्रीमती भावना मलिक
    निगम पार्षद, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

विशेष आमंत्रिती

1. श्री विजय कुमार देव
   मुख्य सचिव, जीएनसीटीडी
2. श्री सत्य गोपाल
   अपर मुख्य सचिव (एल एंड बी) , जीएनसीटीडी
3. श्री मनीष कुमार गुप्ता
   प्रधान आयुक्त (भूमि विकास एवं भूमि प्रबंधन, प्रणाली, खेल एवं

समन्वय), दिविप्रा

4. डॉ. राजीव कुमार तिवारी

प्रधान आयुक्त (कार्मिक, भू-दृश्य, आवास एवं उद्यान), दिविप्रा

5. श्री एच. राजेश प्रसाद

प्रधान सचिव (शहरी विकास), जीएनसीटीडी

6. श्री संदीप कुमार

सचिव (वित्त), जीएनसीटीडी

7. श्री ज्ञानेश भारती

आयुक्त, दक्षिण दिल्ली नगर निगम

8. डॉ दिलराज कौर

आयुक्त, पूर्वी दिल्ली नगर निगम

9. श्री ज्ञानेश भारती

आयुक्त, उत्तरी दिल्ली नगर निगम

10. मुख्य योजनाकार

नगर एवं ग्राम योजना संगठन

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. श्री विजय कुमार

उप राज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव,

2. श्रीमती चंचल यादव

उपराज्यपाल, दिल्ली की विशेष सचिव

3. श्री अजय कुमार

उपराज्यपाल, दिल्ली के अपर सचिव

4. श्रीमती रूचिका कत्याल

उपराज्यपाल, दिल्ली की संयुक्त सचिव

5. श्री अनूप ठाकुर

उपराज्यपाल, दिल्ली के निजी सचिव

सूचनार्थ प्रतिलिपि प्रेषित:

मंत्री (आवासन एवं शहरी कार्य) के निजी सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री कार्यालय, भारत सरकार

दिल्ली विकास प्राधिकरण

दिनांक 14 जुलाई, 2020 को प्रातः 10.30 बजे वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक का कार्यवृत्त ।

बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे :

अध्यक्ष

श्री अनिल बैजल
उपराज्यपाल, दिल्ली

उपाध्यक्ष

श्री अनुराग जैन

सदस्य

1. श्री विजय कुमार सिंह

वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा.

2. श्री शैलेन्द्र शर्मा

   अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा.

3. श्री कामरान रिज़वी

   अपर सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

4. श्री विजेन्दर गुप्ता, विधायक
5. श्री सोमनाथ भारती, विधायक
6. श्री दिलीप कुमार पांडे, विधायक
7. श्री ओ.पी. शर्मा, विधायक
8. श्रीमती भावना मलिक

   निगम पार्षद, पूर्वी दिल्ली नगर निगम

<u>सचिव</u>

श्री डी. सरकार

आयुक्त एवं सचिव, दिविप्रा

<u>विशेष आमंत्रिती</u>

1. श्री मनीष कुमार गुप्ता

   प्रधान आयुक्त (भूमि विकास एवं भूमि प्रबंधन, प्रणाली, खेल एवं समन्वय), दिविप्रा

2. डॉ. राजीव कुमार तिवारी

   प्रधान आयुक्त (कार्मिक, भू-दृश्य, आवास एवं उद्यान), दिविप्रा

3. श्री एच. राजेश प्रसाद

प्रधान सचिव (शहरी विकास), जीएनसीटीडी

4. श्री संदीप कुमार

सचिव (वित्त), जीएनसीटीडी

5. श्री ज्ञानेश भारती

आयुक्त, दक्षिण दिल्ली नगर निगम और उत्तरी दिल्ली नगर निगम

उपराज्यपाल सचिवालय

1. श्री विजय कुमार

   उपराज्यपाल के प्रधान सचिव

2. श्रीमती चंचल यादव

   उपराज्यपाल की विशेष सचिव

3. श्री अनूप ठाकुर

   उपराज्यपाल के निजी सचिव

माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली/अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने श्री अनुराग जैन, उपाध्यक्ष, दिविप्रा का स्वागत किया और उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी।

माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली/अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने भी प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित प्राधिकरण के सभी सदस्यों, विशेष आमंत्रितियों और वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया।

<u>मद सं. 20/2020</u>

दिल्ली विकास प्राधिकरण में प्रतिनिधित्व के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की विधान सभा के माननीय सदस्यों की नियुक्ति

एफ.2(23)2014/एमसी/दि.वि.प्रा.

एजेंडा मद में प्रस्तावित संकल्प को रिकॉर्ड किया गया।

<u>मद संख्या.21/2020</u>

राज निवास में दिनांक 10.02.2020 को आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

एफ. 2(2)2019/एमसी/डीडीए

दिनांक 10.02.2020 को आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त यथा परिचालित की पुष्टि की गई।

<u>मद संख्या.22/2020</u>

राज निवास में दिनांक 10.02.2020 को आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त संबंधी की गई कार्रवाई रिपोर्ट।

एफ. 2(2)2020/एम.सी./डी.डी.ए.

प्राधिकरण के सदस्यों ने दिनांक 10.02.2020 को आयोजित प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्टों (ए.टी.आर.) के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां की :

श्री विजेन्दर गुप्ता

i) श्री विजेन्दर गुप्ता ने बताया कि सोरटेक्स प्लांट गोदामों में संग्रह किए जाने वाले कृषि उत्पादों के लिए आवश्यक है और इसकी अनुमति दी जाए। वे इस मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण को एक विस्तृत टिप्पणी प्रस्तुत करेंगे, ताकि इसे दिल्ली सरकार के साथ शुरू किया जा सकें।

श्री सोमनाथ भारती

i) कालू सराय में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल हेतु भूमि के परिसीमांकन के लिए स्वास्थ्य विभाग ,जीएनसीटीडी के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त रूप से स्थल के दौरा किया जाए।

ii) प्राधिकरण के सदस्यों को प्राधिकरण की बैठकों में उनके द्वारा उठाए गए मामलों पर उनके निर्वाचन क्षेत्रों में किए गए स्थल दौरों के बारे में अवगत कराया जाए।

iii) गुलमोहर पार्क में सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए अनुमान तैयार किया जाए।

चर्चा करने के बाद, यह निर्णय लिया गया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण सामुदायिक हॉल और पार्कों सहित सामुदायिक सुविधाओं के रखरखाव पर प्राधिकरण के विचारार्थ नीति (पॉलिसी) तैयार करेगा।

iv) दिविप्रा/डीएमआरसी ने कुम्हार बस्ती में सामुदायिक केंद्र के लिए पहुंच सड़क के लिए भूमि की अभी तक पहचान नहीं की है।

v) स्थल पर कुछ संरचनाओं को हटाने के लिए जनता को विश्वास में लेने के लिए श्री सोमनाथ भारती जी के साथ संयुक्त रूप से स्थल दौरा किया जाए ,जिससे कि अधचिनी में वर्तमान सामुदायिक केंद्र पर

एक और मंजिल का निर्माण करने के लिए आग बुझाने की गाड़ी की आवाजाही के लिए पर्याप्त सड़क की चौड़ाई दी जा सके।

<u>मद संख्या.23/2020</u>

ग्रुप आवासीय परियोजना के उपयोग के लिए दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11(क) के अधीन योजना जोन-सी में आने वाले मुकरबा चौक, आउटर रिंग रोड (जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन और हैदरपुर मेट्रो स्टेशन के बीच) में स्थित दि.वि.प्रा. की 14.6 हेक्टेयर माप की भूमि के भूमि उपयोग को 'व्यावसायिक' (सी-2 उप नगर थोक बाजार) से 'आवासीय (आर डी) में परिवर्तन करने के लिए प्रस्ताव।

एफ.20(10)/2019 - एमपी

भूमि उपयोग के परिवर्तन पर अंतिम विचार करने से पहले टीओडी मानदंडों के अनुसार विकास की संभावना के लिए प्रस्तावित स्थल की व्यापक रूप से जांच की जाएगी। तदनुसार एजेंडा सूची को उनकी अगली बैठक में प्राधिकरण के समक्ष रखा जाए।

<u>मद संख्या.24/2020</u>

एमपीडी-2021 में "वेयर हाउस/ भंडारण योजनाओं" के लिए एमपीडी-2021 में संशोधन के संबंध में

एफ. 3(84)2010/एमपी

एजेंडा मद में दिए गए प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। दिल्ली विकास अधिनियम,1957 की धारा 11 क के अधीन आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करते हुए सार्वजनिक सूचना जारी की जाए। तथापि, सार्वजनिक सूचना जारी करने से पहले, प्रारूप की सावधानीपूर्वक जांच की जाए और आवश्यक समझे जाने पर प्रारूप में संशोधन और परिणामी परिवर्तन किए जाए।

<u>मद संख्या.25/2020</u>

एसडीएमसी द्वारा मैदानगढ़ी में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा की स्थापना के लिए (सी एंड डी अपशिष्ट की प्रोसेसिंग के लिए) 4,309 एकड़(लगभग) माप क्षेत्र के भूमि उपयोग को 'आवासीय' से 'उपयोगिता (यू4-ठोस अपशिष्ट)(निर्माण और विध्वंस) प्रबंधन सुविधा' में परिवर्तित करने के संबंध में प्रस्ताव ।

एफ. 3(12)2014/एम.पी.

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11 क के अंतर्गत आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करते हुए सार्वजनिक सूचना जारी की जाए।

<u>मद संख्या.26/2020</u>

स्लम और जे.जे. कलस्टर पुनर्विकास विनियम और दिशा निर्देशों के संबंध में दिल्ली मुख्य योजना 2021 के अध्याय 4.0 के पैरा 4.2.3.4 में प्रस्तावित संशोधन

एफ. 3(36)1996/एमपी/पार्ट.I

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। दिल्ली विकास अधिनियम 1957 की धारा 11ए के अधीन आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करते हुए सार्वजनिक सूचना जारी की जाए।

<u>मद संख्या.27/2020</u>

वर्ष 2020-21 के लिए दिल्ली के विभिन्न जोनों में भूखंडों और फ्लैट्स के आबंटन के लिए विकसित क्षेत्रों में पूर्व निर्धारित भूमि दरों का निर्धारण

एफ.डीवाईसीएओ(एलसी)/डीएआर/2019-20/वाल्यूम.II

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
यह निर्णय लिया गया कि दि.वि.प्रा. की निर्मित संपत्तियां विशेषकर नरेला स्थित संपत्तियों के गैर निपटान से संबंधित मामले की जांच की जाए और उपलब्ध विविध विकल्पों को देखा जाए और चर्चा के लिए उन्हें प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

<u>मद संख्या.28/2020</u>

अतिरिक्त एफएआर प्रभारों और उपयोग परिवर्तन प्रभारों का भुगतान करने के लिए 31.12.2020 तक समय विस्तार

एफ.2(12)2017-18/ए(पी)/डीडीए
एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
यह निर्णय लिया गया कि दि.वि.प्रा. द्वारा अनुमोदित विभिन्न दरों वाली एक बुकलेट को वार्षिक रूप से संकलित किया जाए।

<u>मद संख्या.29/2020</u>

ई.डब्ल्यू.एस/सामुदायिक सेवा कार्मिक आवास के संदर्भ में दिल्ली मुख्य योजना 2021 में संशोधन।

एफ.3(37)2004/एमपी

इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया और यह चर्चा की गई कि मुख्य योजना एक विस्तृत नीति दस्तावेज है और निपटान की दरों का निर्धारण मुख्य योजना में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित संशोधन में अध्याय - 4, पैरा 4.4.3 बी पैरा (v) पैरा की निम्नलिखित लाइनों को निम्नलिखित प्रकार से संशोधित किया जाए।

"………. दि.वि.प्रा. की नीति के अनुसार …………. ~~सीपीडब्ल्यूडी सूचकांक 2013 के अनुसार 2000 रूपये प्रति वर्ग फुट की आधार लागत पर (प्लस ईडब्ल्यूएस पार्किंग की लागत) जिसे वास्तविक हैंडओवर के समय सीपीडब्ल्यूडी वृद्धि सूचकांक के अनुसार बढ़ाया जाएगा।~~ इनका विकास वैकल्पिक निकट स्थल पर डीई द्‌वारा किया जा सकता है………."

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को उपर्युक्त परिवर्तनों के साथ अनुमोदित किया गया और इसे दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11ए के अधीन अंतिम अधिसूचना जारी करने के लिए भारत सरकार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को अग्रेषित किया जाए।

मद संख्या.30/2020

एसडीएमसी के लिए अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने हेतु भूमि के आवंटन हेतु पॉकेट ए, इंटीग्रेटिड फ्रेट काम्पलेक्स, गाजीपुर स्थित 8094 वर्ग मीटर माप वाले क्षेत्र के भूमि उपयोग का "व्यावसायिक से उपयोगिता" में परिवर्तन करने के संबंध में प्रस्ताव।

एफ.3(01)/96-निदेशक(एसपी)/पीटी-III/पीटी फाइल

एजेंडा मद में शमिल प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11ए के अधीन आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करते हुए सार्वजनिक सूचना जारी की जाए।

दिविप्रा, दिल्ली नगर निगमों और सीएसआईआर के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की एक प्रति परियोजना रिपोर्ट के साथ इस प्राधिकरण के सभी गैर सरकारी सदस्यों को भेजी जाए।

<u>मद संख्या.31/2020</u>

अमरीकन एम्बेसी इंडियन एम्पलोई को-ओपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, प्रियदर्शनी विहार, दिल्ली-92 के ले-आउट प्लॉन में नर्सरी स्कूल के लिए चिन्हित (निर्धारित) प्लॉट पर मंदिर और सतसंग भवन/कम्यूनिटी हॉल को विनियमित करने के संबंध में।

एफ.8(10)87/आईएल/पीटी

इस एजेंडा मद को वापिस ले लिया गया।

प्राधिकरण के माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए 'अन्य मुद्दे'।

<u>श्री विजेंद्र गुप्ता</u>

i) दिविप्रा को हायर परचेंज फ्लैट की किस्तों और पेनल्टी के भुगतान के लिए वन टाइम एमनेस्टी(सर्वक्षमा) स्कीम प्रारंभ करनी चाहिए 1इस मामले में एक नोट (टिप्पणी) जांच के लिए उपाध्यक्ष, दिविप्रा को भेजा जाएगा।

<u>श्री सोमनाथ भारती</u>

i) दिविप्रा द्वारा डीएवी स्कूल, यूसुफ सराय, को भूमि आबंटित करने के संबंध में विचार करना।

ii) दिविप्रा ने बेगमपुर स्थित खसरा नं. 110, में अनधिकृत संरचनाओं (निर्माण) को ढहा दिया था। तथापि, उस स्थल से मलबे को नहीं उठाया गया है और संरचना का छोटा सा भाग अभी नहीं गिराया गया है । इस मलबे को हटाया जाए और शेष रह गई संरचना को पूरी तरह गिरा दिया जाए।

iii) दिविप्रा अपनी रिक्त पड़ी भूमि की एक सूची संकलित करेगा और पब्लिक यूटिलिटी के लिए उनका उपयोग करेगा ताकि उन्हें अतिक्रमण से बचाया जा सके।

iv) प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में उत्सव ग्राउंड विकसित किए जाएं।

v) जब कभी भूमि उपयोग के परिवर्तन के लिए आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करते हुए सार्वजनिक सूचना दिविप्रा द्वारा जारी की जाती है तो जिन समाचार पत्रों में इन्हें प्रकाशित किया गया है उनकी सूची प्राधिकरण के सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएं।

vi) दिविप्रा प्राधिकरण के नए चयनित सदस्यों के लिए एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित करेगा, जिससे कि वे प्राधिकरण की बैठकों में सफल योगदान दे सकें।

<u>श्री ओ.पी. शर्मा</u>

i) प्राधिकरण की बैठकों में विश्वास नगर और शांति स्वरूप भटनागर मार्ग पर मार्गाधिकार संबंधी अनधिकृत अतिक्रमण को हटाने से संबंधित मामले को बार-बार उठाए जाने के बावजूद इन्हें अभी तक नहीं हटाया गया है

ii) नेपाली मंदिर के निकट खुले सीवर की मरम्मत की जाए।

iii) कड़कड़डूमा में पार्क के लिए चिन्हित भूमि को विकसित किया जाए। चूंकि दिविप्रा ने कोर्ट में यह केस जीत लिया है।

iv) प्रीत विहार क्लब और ग्रेट गेट्स क्लब को किए गए भूमि के अनधिकृत आबंटन की पुन: जांच की जाए।

v) बदरपुर ट्रेडर्स यूनियन को आबंटित की गई भूमि के पट्टे के निर्धारण से संबंधित मामले के विस्तृत ब्यौरों की सूचना सदस्यों को दी जाए।

<u>श्री दिलीप कुमार पांडे</u>

i) जन सुविधाओं के लिए भूमि के आबंटन सहित, दिविप्रा द्‌वारा किए गए पहल कार्यों के लिए लोक प्रतिनिधियों की राय ली जाए।

ii) संपत्तियों के निपटान की समुचित योजना बनाने और उनके निपटान के लिए एक समर्पित टीम बनायी जानी चाहिए ताकि दिविप्रा को इन परियोजनाओं से हानि न उठानी पड़े।

iii) दिविप्रा की निर्माण कार्य गुण्वत्ता घटिया है जिसके लिए दिविप्रा क्यूसीबीएस जैसी संस्था को कार्य का ठेका देने के विकल्प पर विचार कर सकता है।

iv) दिविप्रा के पार्कों का समुचित रखरखाव नहीं किया जाता है 1दिविप्रा इस संबंध में एक नीति तैयार करे और प्राधिकरण के सदस्यों को भी इसमें शामिल करें।

v) वह कोंडली स्कीम स्कूल चौक रोड की मरम्मत के संबंध में एक नोट भी प्रस्तुत करेगा।

<u>श्रीमती भावना मलिक</u>

i) वर्ष 2017 से प्राधिकरण की बैठकों में इस मामले को उठाए जाने के बावजूद दिविप्रा ने अभी तक मयूर विहार में मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण कार्य नहीं किया है।

ii) 2017 में प्राधिकरण की बैठकों में लिए गए निर्णय के अनुसार दिविप्रा की खाली पड़ी भूमि पर सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करने की योजना बनाई जाए।

माननीय उपराज्यपाल ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों, विशेष आमंत्रितियों और वरिष्ठ अधिकारियों का धन्यवाद किया।

अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।